मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

हुड्डा सरकार की मुफ़्त इलाज योजना मात्र एक छलावा
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला या धर्मों का ठेला — 3

लोकसभा चुनाव : क्या करेगा आम आदमी?
भ्रष्टाचार–एक चुनावी मुद्दा — 4

सीरिया पर हमला टालने का बहाना
फर्जी देशभक्ति का उबाल — 6

अम्बानी से कौन डरता है
पुलिस ने कहा सूचना नहीं: श्रम विभाग... — 8

वर्ष 27 अंक 8 फरीदाबाद, शनिवार, 1-15 मार्च 2014 फोन : - 9999595632 ₹ 2

बेगुनाहों को हत्यारोपी बनाने वाले पुलिसकर्मी कब जायेंगे जेल ?

बेगुनाह हत्यारोपी 22 माह बाद जेल से छूटे

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूर मोर्चा के दिनांक 1-15 जनवरी अंक में 'हत्यारे आज़ाद, निर्दोष जेल में बन्द और बर्बाद' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में जिन दो बेगुनाहों की हत्या के आरोप में गिरफ़्तारी का वर्णन किया गया था, उन्हें अब रिहाई नसीब हो गयी है। कुछ अखबारों ने इस रिहाई को, गवाहों व सबूतों की कमी के चलते अदालत द्वारा बरी किया जाना बताया है। वास्तविकता यह है कि पुलिस का षड़यन्त्र उजागर होने के बाद उसने खुद इन दोनों के ख़िलाफ़ दायर आरोप-पत्र वापस लेकर उन्हें आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कराना चाहा था, लेकिन सैशन जज़ ने पुलिस का अनुरोध न मानकर उन्हें बरी किया।

सेक्टर 21 ए की कोठी नम्बर 631 में चौकीदारी करने वाले मनु की हत्या के आरोप में थाना एन आई टी पुलिस ने लिपाई पुताई करने वाले धर्मेंद्र व रमिया को 27.4.12 को गिरफ़्तार कर, बुरी तरह से ठोक-पीटकर जेल भेज दिया था। दिसम्बर 2013 तक सभी गवाहियां भी इनके विरुद्ध गुजारी जा चुकी थी। बस अब अन्तिम बहस के बाद जनवरी-फ़रवरी 2014 में इनको सज़ा कराने का पक्का इन्तज़ाम पुलिस ने कर लिया था।

इसी बीच दिसम्बर 2013 में 'मज़दूर मोर्चा' को विशेष सूत्रों से जानकारी मिली

चोरी की यह तफ़्तीश सी आई ए बड़ख़ल को दी गयी। काफ़ी मशक्कत के बाद सी आई ए ने चोरों को पकड़ लिया इससे सारी हकीकत सामने आ गयी। पुलिस ने सारा माल बरामद कर के गुप्ता को सौंप दिया। पुछताछ के दौरान इन चोरों ने बताया कि चोरी के दौरान चौकीदार मनु नींद से जाग गया था, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। तफ़्तीश कर रहे सी आई ए के ए एस आई ने जब यह सूचना अपने अधिकारियों को दी तो पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया।

पृष्ठ 7 पर हम हरिशंकर परसाई का व्यंग्य 'इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर' प्रकाशित कर रहे हैं। इस घटना से लगता है कि वह व्यंग्य आज की हकीकत है।

कि उक्त दोनों हत्यारोपी तो बेगुनाह हैं। गहराई से छानबीन करने पर इस संवाददाता को पता चला कि हत्या-स्थल (कोठी नम्बर 631) से डेढ-दो करोड़ की चोरी भी हुई थी। चोरी गया यह दो नम्बर का माल पडोस की कोठी नम्बर 632 में रहने वाले प्रमोद गुप्ता ने अपने यहां आयकर विभाग के छापे के डर से वहां छिपा कर रखा था।

नवम्बर 2012, दिवाली से एक-दो दिन पूर्व जब गुप्ता ने अपना धन सम्भालना चाहा तो वह गायब मिला। तत्कालीन पुलिस आयुक्त शत्रुजित कपूर के दबाव में चोरी की एक एफ आई आर नम्बर 272 दर्ज की गयी जिसमें मालियत कम करके दिखाई गई और घटना स्थल भी बदल दिया गया। गुप्ता ने, यद्यपि कपूर को सब कुछ सच-सच बता दिया था। लेकिन फ़िर भी कपूर की सलाह पर एफ आई आर में चोरी होना गुप्ता ने 631 के बजाय अपने मकान नं. 632 से दिखाया था।

चोरी की यह तफ़्तीश सी आई ए बड़ख़ल को दी गयी। काफ़ी मशक्कत के बाद सी आई ए ने चोरों को पकड़ लिया इससे सारी हकीकत सामने आ गयी। पुलिस ने सारा माल बरामद कर के गुप्ता को सौंप दिया। पूछताछ के दौरान इन चोरों ने बताया कि चोरी के दौरान चौकीदार मनु नींद से जाग गया था, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। तफ़्तीश कर रहे सी आई ए के ए एस आई ने जब यह सूचना अपने अधिकारियों को दी तो पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया।

पुलिस के लिये अब मुसीबत यह थी कि वह असली हत्यारों को आरोपी बना कर चालान कैसे करे जबकि इसी हत्या के आरोप में वह धर्मेन्द्र व रमिया का आरोप-पत्र कोर्ट में भेज चुकी थी। सवाल पुलिस की नाक का ही नहीं था बल्कि गुप्ता के दो नम्बर के माल पर भी पर्दा डालना जरूरी था। आखिर तो वह सी पी कपूर का दोस्त जो ठहरा। और मुकदमें की सुनवाई भी काफ़ी हद तक हो चुकी थी। कुछ भी हो इन्साफ़ का तकाज़ा तो यही था कि पहले गलत ढंग से हत्यारोपी बनाये गये दोनों को पुलिस आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कराती व असली हत्यारों का चालान करती।

- शेष पेज 2 पर

डी जी पी ने दी बधाई व धन्यवाद

बेगुनाहों की रिहाई में 'मज़दूर मोर्चा' के योगदान की सराहना करते हुए हरियाणा के डी जी पी श्री निवास वशिष्ठ ने 27 फ़रवरी को सायं 7 बजे फ़ोन करके मोर्चा संपादक को बधाई दी तथा स्थानीय पुलिस की ग़लती को उजागर करके दो बेगुनाहों को सज़ा से बचाने के लिये धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस भयानक ग़लती में शामिल किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी तथा दोनों बेगुनाहों को समुचित मुआवज़ा सरकार से दिलवाया जायेगा। मुआवजे की रकम तमाम दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से वसूली जायेगी।

''दोषियों के नाम पर छोटे प्यादों को सज़ा देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, इसमें असली किंग तो खुंद सी पी शत्रुजित कपूर हैं'' जवाब में डी जी पी ने कहा कि इसमें असली गुनाहगार एस एच ओ अनिल व इन्सपेक्टर मदन हैं, चोरी की तफ़्तीश करने वाली सी आई ए टीम का कोई दोष नहीं। कपूर की भूमिका को भी वे देखेंगे। उन्होंने यह भी माना कि जिमनी के दो पेज भी गायब किये गये हैं। पुलिस की ग़लती मज़दूर मोर्चा द्वारा प्रकाश में लाये जाने के 57 दिन बाद इनकी रिहाई के बाबत उन्होंने कहा ''8 जनवरी को फ़ोन पर आपसे सूचना मिलते ही मैंने चावला (सी पी) को इस मामले की तहकीकात करने को कहा था। कार्यवाही होने में इतना समय तो लगता ही है।''

मज़दूर मोर्चा सैशन जज दर्शन सिंह को भी बधाई देता है जिन्होंने मामले में सही तथ्यों के आने पर समुचित कार्यवाही की। ■

ख़बर दार

मैराथन दौड़ : पर्यावरण के नाम पर हुड्डा की नौटंकी

फ़रीदारबाद (म. मो.) दिनांक 23 फरवरी रविवार के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने शहरवासियों की एक दौड़ लगवाई। इसको नाम दिया गया पर्यावरण एवं स्वच्छता मैराथन दौड़। सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर से मुख्यमंत्री ने पूरे ताम-झाम के साथ इसे रवाना किया। इस दौड़ का क्षेत्र रखा गया था सेक्टर 15ए, 16ए, 15 18 व, 19 से लगती सड़कें।

सुरक्षा के नाम पर भारी पुलिस प्रबन्ध किया गया था। सुबह से ही उक्त सेक्टरों को जाने वाली तमाम सड़कों की नाकेबंदी कर दी गयी थी। इससे आने-जाने वालों को अपने गन्तव्यों तक पहुंचने के लिये फ़ालतू के चक्कर लगाने पड़े। दूसरी ओर शहर की पुलिस जन सुरक्षा के अन्य तमाम काम छोड़ कर इस नौटंकी को देखने में लग गयी।

हुड्डा साहब इस नौटंकी के द्वारा किसको क्या संदेश देना चाहते थे, समझना जरूरी है। कहने को तो दिन ब दिन प्रदूषित होते जा रहे पर्यावरण को प्रदूषण-मुक्त करना इस दौर का मकसद था। लेकिन

हुड्डा साहब इस नौटंकी के द्वारा किसको क्या संदेश देना चाहते थे, समझना जरुरी है। कहने को तो दिन ब दिन प्रदूषित होते जा रहे पर्यावरण को प्रदूषण-मुक्त करना इस दौर का मकसद था। लेकिन वास्तव में दौड़ने आये नागरिकों के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वे प्रदूषण घटा पायें। प्रदूषण घटाने के नाम पर इसे घटाने का पूरा काम हुड्डा सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है।

वास्तव में दौड़ने आये नागरिकों के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वे प्रदूषण घटा पायें। प्रदूषण घटाने के नाम पर इसे घटाने का पूरा काम हुड्डा सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है। इस काम के लिये बाकायदा एक प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बनाया गया है। इस पर राज्य की जनता का करोड़ों रुपया स्वाहा किया जा रहा है। राज्य में प्रदूषण समाप्त करना तो दूर घटाने तक का कोई काम यह बोर्ड नहीं करता। हां, केवल उगाही का काम जरूर पूरे जोर-शोर से करता है।

उगाही करने में इस बोर्ड का कोई सानी नहीं। यह प्रदूषण करने वालों से तो वसूली करता ही है न करने वालों पर भी अपना डंडा फटकारता रहता है। हुड्डा सरकार ने इसकी लूट का दायरा बढ़ाते हुए तमाम बड़े भवन निर्माताओं को भी इसके दायरे में कर दिया है। इसके चलते अब जितने भी बड़े-बड़े कॉलोनाइज़र व फ्लैट निर्माता हैं, उनको प्रदूषण का डंडा दिखाकर उनसे भी शीघ्र ही वसूली शुरू होने वाली है। जाहिर है चुनाव सिर पर हैं, वोट खरीदने व प्रचार के लिये जरूरी धन की व्यवस्था उन्हीं उपायों से ही तो की जानी है।

वसूली के इस काम को सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से चलाये जाने के लिये हुड्डा ने अपने एक रिश्तेदार वी. एस. काद्यान को इस बोर्ड का सदस्य सचिव बना रखा है।

शेष पेज 2 पर

लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ लिया 'मज़दूर मोर्चा'

'मज़दूर मोर्चा' के 16-31 दिसंबर अंक में 5 करोड़ की अवमानना मामले में अभिनेता राजपाल भुगत रहा सजा, 22000 करोड़ डकारने वाला कार्पोरेट सुब्रत सहारा ले रहा मज़ा' शीर्षक से लेख प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया था कि राजपाल के मात्र 5 करोड़ रुपए के मामूली से केस में तो उसे जेल भेज दिया गया, जबकि उससे हज़ारों गुणा बड़े आर्थिक अपराधी को मजे मारने के लिए खुला छोड़ रखा है। जहां राजपाल का तो मात्र लेनदेन का ही मामला था वहीं सुब्रत सहारा का तो बड़े पैमाने पर काले धन को सफ़ेद करने का मामला साफ़ नजर आ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट को सुब्रत के गिरफ्तारी वारंट निकालने का जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, वह अब जाकर किया गया है। चलो यह भी शुक्र है कि किया तो सही। लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट में दम कितना है ? क्योंकि जिस तगड़े ढंग से राम जेठमलानी सुब्रत सहारा की पैरवी कर रहे हैं, उससे लगता है कि वह शायद ही जेल जाए। ■